



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेशपर की गई कार्रवाई
1	2	3
28.09.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया।</p> <p>दोनों पक्ष उपस्थित ^{दुर} वादी/प्रतिवादी दोनों पक्ष द्वारा भूमि स्वामित्व, बंटवारा संबंधित दावा हेतु सक्षम न्यायालय के शरण में जाने के लिए सहमति दी गई। भूमि सुधार उपसमाहर्ता-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर के ज्ञापांक 34/रा० दिनांक 08.05.2020 के आदेश के आलोक में ना० मु० संख्या 24/2009-10 एवं 68/2015-16 को रद्द किया गया है। हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि पंजी 27 में उक्त आदेश को अंकित करें।</p> <p>अतः वाद की समाप्ति की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर।</p> <p> अंचल अधिकारी जगन्नाथपुर।</p>	